न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 227/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
नेनुबाई पुत्री पूनमसिह पत्नी छोगसिह जाति राजपुरोहित निवासी चांचोडी हाल सोकडा तहसील बाली जिला पाली		1– श्रीमती अणसी पत्नी बालूराम जाति राजपुरोहित निवासी चांचोडी 2– जमनाराम पुत्री पूनमसिह के उतराधिकारी– 2.1–गणपत सिह पुत्र अमर सिह 2.2– कालू सिह पुत्र अमर सिह जाति राजपुरोहित निवासी सोकडा तहसील बाली जिला पाली 3–. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच चांचोडी, तहसील रानी 4– भूमिधारी तहसीलदार रानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व अपील संख्या 6/2017 अनवान नेनुबाई बनाम अणसी वगैरा मे दिनांक 1–11–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री अनोप सिह सोलंकी रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष ग्राम पंचायत चांचोडी द्वारा ग्राम चांचोडी के नामांतरकरण संख्या 62, 63 एवं 1458 स्वीकृति दिनांक कमशः 16–11–68, 26–11–68 एवं 10–7–97 के विरूद्ध वर्ष 2017 मे इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि उक्त नामांतरकरणो मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमि उसके पिता पूनमसिह पुत्र मानसिह पुरोहित के खातेदारी, एवं स्वामित्व की थी, उक्त खातेदार पूनमसिह के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 62 एवं 63 मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना मृत खातेदार के पुत्र बालुसिह पुत्र पूनमसिह के पक्ष मे सरपंच ग्राम पंचायत चाचोडी द्वारा वर्ष 1968 मे स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलार्थियां भी मृतक खातेदार पूनमसिह की जायंदा पुत्री है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से उसका भी अपने पिता के खातेदारी मे पुत्र के समान अधिकार है इसलिए उपरोक्त नामांतरकरण को निरस्त करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि खातेदार बालूसिह के फोत होने पर उक्त दोनो म्युटेशनो मे वर्णित भूमि का विरासत का नामांतरकरण संख्या 1458 उसकी पत्नी अणसी बेवा बालूसिह के नाम स्वीकृत कर दिया, जो भी

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिविरूद्ध होने से उन्हे निरस्त करने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–11–2019 के द्वारा अपीलार्थियां की प्रथम अपील को खारीज कर दी जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियां ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 76 राज0 भूं राजस्व अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां मृतक खातेदार पूनमसिह की जायंदा पुत्री है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से उसका भी उसके पिता के फौत होने पर विरासत के भरे गये नामांतरकरणो मे नाम दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु उसे अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए स्वीकृत किये गये उक्त नामांतरकरणो के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील मे अधीनस्थ न्यायालय धारा 6 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की गलत रूप से व्याख्या करते हुए अपीलार्थियां की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालयं मे धारा 6 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अधिकारो के लिए अपील पेश नही की थी बल्कि अपीलार्थियां ने अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे धारा 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत स्वयं को प्रथम श्रेणी की वारिस होना बताते हुए अपीलाधीन म्युटेशनो मे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अपील पेश की थी, जिसकी गलत व्याख्या करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम वर्ष 1956 मे ही आ गया था, उसमे पुत्र एवं पुत्रियो को प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस माना है इसलिए अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 62 व 63 जो कि विरासत के नामांतरकरण थे उनमे मृतक के पुत्र के साथ पुत्रियो का भी नाम उतराधिकारियो के रूप मे दर्ज किया जाना चाहिये था परंतु हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान की पालना किये बिना स्वीकृत किये गये उक्त दोनो म्युटेशन तथा उसके पश्चातवर्ती म्युटेशन संख्या 1458 जो कि बालूसिह के फोत होने पर उसकी पत्नी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया था वे सभी त्रुटिपूर्ण होने से उक्त तीनो म्युटेशनो के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए खारीज की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय भी निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–11–2019 को एवं अपीलाधीन तीनो नामांतरकरण संख्या 62, 63 एवं 1458 को निरस्त कर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार अपीलांट एवं मृतक खातेदार पूनमसिह के अन्य वारिसान के नाम म्युटेशन दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–11–2019 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने 3 म्युटेशन क्रमशः नामांतरकरण संख्या 62, 63 एवं 1458 के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जो विधिवत 3 म्युटेशनो की संयुक्त अपील पेश नही की जा सकती है तथा कथन किया कि प्रत्येक नामांतरकरण की अलग–अलग अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी इसलिए अपीलांट की यह अपील खारीज़ योग्य है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने आर.आर.डी. 2000 पेज 73, आर.आर.डी. 1983 पेज 811, आर.आर.डी. 1979 पेज 89, आर.आर. डी. 1967 पेज 49, आर.आर.डी. 1999 पेज 232 एवं आर.आर.डी. 2000 पेज 151 की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया अपीलार्थियां ने म्युटेशन संख्या 62 व 63 जो कि वर्ष 1968 मे स्वीकृत हुए थे उनके विरूद्ध लगभग 50 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन नामांतरकरणो की जानकारी कैसे व कब हुए बाबत कोई संतोषजनक कारण का उल्लेख नही किया है इसलिए अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे पुत्रियों को पिता की सम्पति मे वर्ष 2005 से पहले हिस्सा नही मिलने का जो विवेचन दिया गया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थिया मृतक खातेदार पूनमसिह की जायदा पुत्री तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसके द्वारा उसके पिता के खातेदारी भूमि से उसे वंचित रखते हुए स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 62, 63 एवं 1458 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज करने का जो निर्णय मे विवेचन दिया है, वह विधिसम्मत नही है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे भी तीन म्युटेशनो के एक ही अपील प्रस्तुत की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे इस पर कोई प्रतिकूल

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

टिप्पणी किये बिना निर्णय पारित किया था परंतु रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता नें इस अपीलीय न्यायालय मे 3 म्युटेशनो की एक अपील प्रस्तुत नही हो सकती, बाबत नया तथ्य प्रकट किया है, जो अपील स्तर पर नया तथ्य प्रकट कर आपत्ति नही की जा सकती है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने जवाब मे कथन किया कि म्युटेशन संख्या 62 एवं 63 दोनो ही मृतक खातेदार पूनमसिह के फोत होने पर उसके पुत्र बालुसिह के नाम तथा बालुसिह के फोत होने पर उसकी पत्नी के नाम नामांरतरण संख्या 1458 स्वीकृत हुआ है तथा अपीलार्थियां मूल म्युटेशन संख्या 62 एवं 63 से प्रभावित है । इस संबंध मे वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब मूल म्युटेशन ही त्रुटिपूर्ण था तो उसके निरंतर मे स्वीकृत सभी म्युटेशन त्रुटिपूर्ण ही माने जायेंगे तथा यह भी कथन किया कि जब मूल म्युटेशन निरस्त हो जाता है तो बाद के सभी म्युटेशन स्वतः ही निरस्त ही मानें जायेंगें ।

वकील अपीलांट ने जवाब मे यह भी कथन किया कि इस प्रकार की तकनीकी कारणो की वजह से अपीलांट को उनके अधिकारो से वंचित नही किया जाना चाहिये तथा अपीलो को इस आधार पर खारीज नही किया जाना चाहिये बल्कि अपील के गुणावगुण पर विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये ।

वकील अपीलांट नें रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता की आपत्ति के जवाब मे यह भी कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलंब से प्रस्तुत अपील को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अंदर मयाद सुमार करते हुए निर्णय पारित किया है तो जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार कर दिया है तो अपीलीय न्यायालय को पुनः उस पर टिप्पणी किया जाना न्यायसगंत नही है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.एल.ड्ब्लु 1994 (2) पेरा 11, आर.एल. ड्ब्लु 2007 (2) पेज 887, आर.आर.डी. 1984 पेज 358, आर.आर.डी.1981 पेज 295 तथा आर.आर.डी. 1981 पेज 569 की निर्णय नजीरे पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निर्णय नंजीरो आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया । ग्राम चाचेडी के नामांतरकरण संख्या 62 एवं 63 मे वर्णित कृषि भूमि कमशः खसरा नंबरान 758 रकबा 1.00 बीघा, खसरा नंबर 759 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नंबर 761 रकबा 36.07 बीघा, खसरा नंबर 64 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नंबर 65 रकबा 28.01 बीघा, खसरा नंबर 685 रकबा 17.07 बीघा भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार पूनमसिह पुत्र मानसिह कौम पुरोहित था । उक्त खातेदार के फोत होने पर उसके उपरोक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण सख्या 62 एवं 63 उसके पुत्र बालूसिह के नाम वर्ष 1968 मे स्वीकृत

अति० सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

कर दिया जबकि मृतक खातेदार पूनमसिह के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान उसकी तीन पुत्रियां भी जीवित थी जिनको उनके पिता के खातेदारी से वंचित रखते हुए केवल पुत्र बालूसिह के नाम उक्त दोनो म्युटेशन स्वीकृत किये गये, जो विधिविरूद्ध नही थे । तत्पश्चात खातेदार बालूसिह पुत्र पूनमसिह के देहांत पर उसके खातेदारी की भूमि का विरासत का नामांतरकरण संख्या 1458 वर्ष 1997 मे उसकी पत्नी वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती अणसी के पक्ष मे स्वीकृत किये जाने पर उपरोक्त तीनो म्यूटेशनो के विरूद्ध अपीलार्थियां नेनुबाई पुत्री पूनमसिह द्वारा अधीनस्थं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी मे प्रस्तुत प्रथम अपील को अधींनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 एवं हिन्दु उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 एवं संशोधन की धारा 6 (1) एवं 6 (3) के प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकाश बनाम फूलवंती वगैरा एस.एस.सी. 2016 (2) पेज 36 का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थियां ने तो हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने के नाते अपीलाधीन भूमि मे अपने पिता के नाम की खातेदारी की भूमि मे पुत्र के समान पुत्री का भी समान अधिकार होने का कथन करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 62, 63 एवं पश्चातवर्ती म्युटेशन संख्या 1458 को चुनौती दी थी । अंथार्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि को सहदायिक सम्पति मानते हुए तथा धारा 6 की व्याख्या करते हुए जो निर्णय पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही है ।

रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलाधीन म्युटेशनो के विरूद्ध 50 वर्ष के विलंब से अपील पेश की थी तो जब प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तो मयाद के बिन्दु पर पुनः इस अपीलीय न्यायालय को विवेचन करना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस मे 3 म्युटेशनो की एंक अपील नही हो सकने बाबत आपत्ति प्रकट की तथा इस संबंध मे निर्णय नजीरे भी पेश की जिसके जवाब मे अपीलांट अधिवक्ता ने भी जवाब मे कथन किया कि इस प्रकार की तकनीकी खामियो की वजह से अपीलांट को उनके अधिकारो से वंचित नही किया जाना चाहिये बल्कि अपील के गुणावगुण पर विचार किया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये, इस संबंध मे निर्णय नजीरे भी पेश की है, जिनका अध्ययन किया गया, इन निर्णय नजीरो के परिपेक्ष्य मे वर्तमान अपील मे रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उठाई गई तकनिकी आपत्तियो के आधार पर अपीलार्थियां जो कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार मृतक खातेदार पूनमसिह की प्रथम श्रेणी की वारिस है इसलिए उसे अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

उतराधिकार से हासिल हुए अधिकारो से वंचित रखा जाना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–11–2019 एवं अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 62, 63 एवं म्युटेशन संख्या 1458 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानी को मृतक खातेदार पूनमसिह के प्रथम श्रेणी के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर, उन्हे सुनवाई का समुंचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत म्युटेशन की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर